

Misc. Case No. 95 of 2021 (MACP No. 138 of 2019)

Taj Bano vs. Jitendra Kumar & Ors.

24.06.2021

The case presented before the Tribunal. Applicants with their counsel appeared through Video Conferencing.

This Misc. case is instituted by the applicant Haider S/o Lallu Khan to release the amount ₹1,44,228 and interest thereon of the Fixed Deposit Receipt Account No. 92354050009611 in the name of his father Lallu Khan on account of death of Lallu Khan in his favour as he is nominee of the same.

Heard and perused the record of MACP No. 138 of 2019 which transpires that on the basis of merit following order was passed by the MACT Jhansi on 06.03.2020 in which Petitioner No. 4 is Lallu Khan-

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षी सं. 3 दि न्यू इण्डिया इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ 11,30,290/- (ग्यारह लाख तीस हजार दो सौ नब्बे) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या 3 दि न्यू इण्डिया इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दे।

याची सं. 2 व 3 प्रत्येक उक्त क्षतिपूर्ति की धनराशि में से क्रमशः 30-30 प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे जो धनराशि उनके नाम जरिये संरक्षिका माँ याचिया सं. 1, सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा योजना में उनके वयस्क होने तक के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पुनर्निवेशित की जायेगी, जिसका प्रतिमाह ब्याज उक्त याचीगण प्राप्त करते रहेंगे। प्रतिकर की धनराशि में से याची संख्या 1 व 4 क्रमशः 25 प्रतिशत व 15 प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे जिनमें से उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि का 80 प्रतिशत भाग सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा में 3 और 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेशित की जायेगी तथा याची सं. 1 व 4 को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर की राशि में से प्रत्येक 20-20 प्रतिशत भाग नकद आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से प्राप्त करेंगे। याची सं. 1 व 4 द्वारा उक्त निवेशित धनराशि अपनी-अपनी इच्छा पर 5 वर्ष के पश्चात पुनर्निवेशित की जा सकेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

As per Canara Bank report, nominee of the Fixed Deposit Receipt Account No. 92354050009611 is Shri Haider Khan.

Release Application 3B of Haider is supported by affidavit and certified copy of Death Certificate of Lallu Khan. Self attested photocopy of Aadhar Card and bank account details have also been supplied.

In my view applicant is entitled to get deposited amount in his bank account. Hence-

ORDER

Canara Bank, Jhokan Bagh Jhansi is ordered to break the Fixed Deposit Receipt Account No. 92354050009611 before maturity and transfer the the whole amount with interest if any in the bank account of Haider S/o Lallu having A/No.693410510001768 Bank of India, Chirgaon Branch IFSC-BKID0006934 through RTGS/NEFT.

Date:24.06.2021

(Chandroday Kumar)
Presiding Officer
Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi